

11. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्शुअर)- सम्पूर्ण भवन में फायर एक्सटिंग्शुअरों का आईएस 2190 के अनुसार प्राविधान किया गया है।
12. स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम -
ए- फायर चैक डोर , स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग - आवश्यक नहीं है।
बी- सिस्टम की मैकेज्म एअर हेतु व्यवस्था - आवश्यक नहीं है।
सी- स्मोक रिजर्व वायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुये एक्सट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण -आवश्यक नहीं है।
13. प्रेशरइजेशन प्रणाली -
1. स्थानों पर प्रेशरइजेशन की गई है व प्रयुक्त होने वाले फॉन्स की डकिंग इत्यादि आवश्यक नहीं है।
2. प्रेशरइजेशन सिस्टम , डिटेक्शन से इण्टेलीकिंग - आवश्यक नहीं है।
14. एक्विजिट साइनेज- सम्पूर्ण भवन में एक्विजिट साइनेज स्थापित किये गये हैं।
15. पी 0ए0 सिस्टम - पी0ए0 सिस्टम सम्पूर्ण भवन प्राविधानित है।

उपरोक्तनुसार विद्यार्थ विद्यालय को अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन हेतु निदेशित किया जाता है।

1. भविष्य में यदि विद्यालय भवन में कोई निर्माण / परिवर्तन किया गया है। तो उसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना तथा अग्निशमन विभाग से पुनः अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. वैकल्पिक विद्युत स्रोत के अन्तर्गत उपलब्ध जनरेटर के पास 01 अदद सीओ₂ फायर एक्सटिंग्शुअर क्षमता 4.5 किग्रा क्षमता का उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
3. भवन से विद्युत भार के अनुसार एम0सी0बी0/ई0एल0सी0बी0 का प्राविधान करना सुनिश्चित करेगे तथा मीटर रूम/इलेक्ट्रिक रूम 01 अदद सीओ₂ फायर एक्सटिंग्शुअर क्षमता 4.5 किग्रा क्षमता का उपलब्ध रखना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्राविधानिक अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखना तथा अग्निशमन विभाग से इस प्रकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। कि उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था संतो अजनक तथा कार्यशील दसा में है।
5. विद्यालय की बीचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दसा पहुँच मार्ग , सैटबैक, फायर स्कैप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार कमी नहीं की जायेगी।
6. विस्फोटक /ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण विद्यालय परिसर में कदापि नहीं किया जायेगा।
7. विद्यालय भवन में जिन कमरों में एक ही दरवाजा है उन कमरों में 40 से अधिक छात्र/छात्राओं को नहीं बैठायेगे।
8. विद्यालय में उपलब्ध सबमर्सिबुल पम्प से03 एमएम साइज का थ्रैटेड फ्लैज लगाया जायेगा।
9. उपरोक्त उल्लंघन पर निर्गत अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्ता ही निरस्त समझा जायेगा।

अतः अग्निशमन अधिकारी घाटमपुर कानपुर नगर की संस्तुति के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन चन्द्र शेखर आजाद महाविद्यालय जामू, बिधनू कानपुर नगर। का अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्न-अनुमोदित मानचित्र

(सि.पी.सी.डी.)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
कानपुर नगर

प्रतिलिपि -

1. अग्निशमन अधिकारी घाटमपुर, कानपुर नगर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संख्या- ५५२४
०२-१२-२०१४



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीनीकरण संख्या :- 1232/2014-15


फाइल संख्या :- K-33699

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि- चन्द्रशेखर आजाद शिक्षा समिति,
ग्राम व पोस्ट-जॉमू तहसील कानपुर जिला-कानपुर नगर को दिये गये
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1082/2004-2005

दिनांक.....30-11-2004.....को दिनांक.....30-11-2014.....से पांच वर्ष
की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000/- रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक:- 01-12-2014


सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश।

प्रबन्धक,

चन्द्र शेखर आजाद महाविद्यालय जामू कानपुर नगर।

विषय- जामू कानपुर नगर में निर्मित / प्रस्तावित चन्द्र शेखर आजाद महाविद्यालय भवन का अग्निशमन अपात्रता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 01.01.16 का अवलोकन करे, जिसके द्वारा मानचित्र प्रस्तुत करते हुए उक्त विद्यालय भवन हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की अपेक्षा की गई थी।

प्रश्नगत भवन के प्लान मानचित्रों में पायी गयी कमियों के निवारण हेतु इस कार्यालय के समाक पत्र दिनांकित 05.01.16 द्वारा आपत्ति निर्गत की गयी जिसकी कमियों का निवारण कर उपलब्ध कराये गये मानचित्र/अभिलेखों के अधार पर स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी घाटमपुर, कानपुर नगर द्वारा कराया गया। निरीक्षरोंपरान्त उपलब्ध कराई गई आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया, आख्या विन्दुवार निम्नवत है-

भवन की संरचना-

1. कुल भूखण्ड एरिया 22323.00 वर्गमी०
2. भूतल निर्मित कवर्ड एरिया 2671.05 वर्गमी०.
3. प्रथम तल कवर्ड एरिया 2671.05 वर्ग मी०।
4. भवन की ऊंचाई 07.00 मी०
5. भवन का अधिभाग एवं हैजाई श्रेणी प्रश्नगत भवन अधिभाग एन०बी०सी० की शैक्षणिक भवन की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था-

1. पहुँच मार्ग- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 20 मी० सेंड की चौड़ाई एन०एच० है।
2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई - 5.00 मीटर है जो मानक के अनुसार है।
3. सैटबैक- प्रस्तावित भवन का सैट बैक निम्नवत है।
ए-अग्रभाग- 15.00 मी०
बी-पू उभाग 4.5मी०
सी-पार्श्वभाग-8.00 मी०
डी-पार्श्व प्रथम-6.00 मी०
4. निकास मार्ग- भवन भूतल में ही निर्मित है। तथापि भवन मानचित्रों में 02 अदद स्टेयर केस दर्शाये गये हैं।
5. रिपयूज एरिया का विवरण :-.....

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जाने आवश्यक है।

1. भूमिगत टैंक - आवश्यक नहीं है।
2. पम्प- आवश्यक नहीं है।
3. होज़रील- आवश्यक है।
4. वेटराइजर- आवश्यक नहीं है।
5. यार्ड हाइड्रेंट, होज़ कॅबिनेट एवं डिलेवरी होज़, ब्रॉन्सपाइप व फायर सर्विस इनलेट - आवश्यक नहीं है।
6. हस्ताचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम- आवश्यक नहीं है।
7. स्वाचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम - आवश्यक नहीं है।
8. स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम - आवश्यक नहीं है।
9. टैरेस टैंक - आवश्यक नहीं है।
10. टैरेस पम्प - आवश्यक नहीं है।